

Notice for customers holding accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Scheme

Please note that the **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)** is a flagship scheme of the Government, implemented by the Department of Financial Services (DFS). There is no provision of disbursement of loans under this scheme from the Government / Department.

Please do not respond to any advertisement from any individual / entities promising disbursement of loans under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Scheme.

For any loan requirement, we request you to approach your Bank.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत खाते रखने वाले लोगों के लिये सूचना

कृपया ध्यान दें कि **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा कार्यान्वित किया गया है। सरकार/विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऋण जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

कृपया प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत ऋण जारी करने का वादा करने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन को कोई जवाब न दें।

ऋण की कोई भी आवश्यकता होने पर, हम आपसे अपने बैंक से संपर्क करने का निवेदन करते हैं।